[2023] 1 एस. सी. आर 797

एक्स-कॉन्स्ट/डी. वी. आर. मुकेश कुमार रायगर

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10499)

16 जनवरी, 2023

[न्यायमूर्तिगण अजय रस्तोगी और बेला एम**.** त्रिवेदी**]**

सेवा कानूनःसेवा से हटाना-कॉन्स्टेबल को घोर कदाचार और अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाना-नियुक्ति के समय जमा किए गए सत्यापन प्रपत्र में लंबित आपराधिक मुकदमेबाजी का दमन-विभागीय जांच-सेवाओं से हटाने का आदेश-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी आदेश को अपास्त करना दिया और कॉन्स्टेबल की बहाली का निर्देश दिया-हालांकि, डिवीजन बेंच ने आदेश को अपास्त करना दिया-अपील पर, कहाःकांस्टेबल ने घोर दुराचार किया है-तथ्य का जानबूझकर दमन किया गया था जो एक गंभीर परिस्थिति थी-उच्चतम आदेश का अनुशासन बनाए रखने के लिए बल कर्मियों की आवश्यकता होती है और ऐसे गंभीर अपराधों में कांस्टेबल की भागीदारी ने उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया-नियुक्त करने वाले अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और दुर्भावना के बिना उन्हें सेवाओं से हटाने का आदेश पारित किया है-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों द्वारा पारित हटाने के आदेश में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया है, इस प्रकार, खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है-सी. आई. एस. एफ. नियम, 2001 -आर. 36,54.

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **-1.1** उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रत्यर्थियों**-**प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की थी।अवतार सिंह के मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी**-**प्राधिकरणों ने याची की सेवाओं को समाप्त कर दिया था**,** जिसमें कहा गया था कि याची को सी**.** आई**.** एस**.** एफ**.** में नियुक्त किया गया था**,** बल में उनके नामांकन के समय उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था**,** लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया और यह कि जानबूझकर तथ्यों को दबाया गया था जो एक भयावह परिस्थिति थी।सी**.** आई**.** एस**.** एफ**.** भारत संघ का एक सशस्त्र बल होने के नाते**,** आंतरिक सुरक्षा के लिए हवाई अड्डों**,** बंदरगाहों**,** परमाणु ऊर्जा विभाग**,** अंतरिक्ष विभाग**,** मेट्रो**,** बिजली और इस्पात जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है।

कर्तव्य आदि, और इसलिए, बल के कर्मियों को उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है; और यह कि ऐसे गंभीर अपराधों में याची की भागीदारी ने उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया।प्रत्यर्थी -प्राधिकरणों के इस तरह के सुविचारित और सुविचारित निर्णय में संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकल पीठ द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब दुर्भावनापूर्ण या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करने या वैधानिक नियमों के उल्लंघन का कोई आरोप प्रत्यर्थी अधिकारियों के खिलाफ नहीं लगाया गया था।**[**पैरा **9] [806-**डी**-**जी**]**

1.2 उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से अपास्त करना दिया था, जिसने याची के खिलाफ प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा पारित हटाने के आदेश में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया था।याची को सी**.** आई**.** एस**.** एफ**.** जैसे अनुशासित बल में प्रवेश करने की सीमा पर घोर कदाचार करते हुए पाया गया है, और प्रत्यर्थी अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और दुर्भावना से प्रेरित हुए बिना उसे सेवा से हटाने का आदेश पारित किया है, न्यायालय संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।**[**पैरा **13] [808-**एफ**-**जी**]**

अवतार सिंह बनाम भारत संघ**, (2016) 8** एस**.** सी**.** सी**. 471:[2016] 7** एस**.** सी**.** आर**. 445;** सतीश चंद्र यादव बनाम संघ

भारत, 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1300-पर निर्भर था।

भारत संघ और अन्य बनाममेथु मेदा**, (2022) 1** एस**.** सी**.** सी**. 1;** भारत संघ बनाम दिलीप कुमार मलिक**, (2022) 6** स्केल **108,** पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्य।

(2022) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 532,** राजस्थान राज्य विद्युत

प्रसारन निगम लिमिटेड और अन्र बनामअनिल कांवरिया**, (2021) 10** एस**.** सी**.** सी**. 136;** मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य**, (2019) 17** एस**.** सी**.** सी**. 696;** उड़ीसा राज्य और अन्य। वी**.**

बिद्याभूषण महापात्रा, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 779:[1963] पूरक।एससीआर **648;** बी**.** सी**.** चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और ओआरएस., (1995) 6 एससीसी 749: [1995] 4 पूरक।एससीआर 644;

ओम कुमार और ओआरएस बनामभारत संघ **(2001) 2** एस**.** सी**.** सी**.**

386 :[2000] 4 पूरक।एस. सी. आर. 693; उपमहानिदेशक

प्रबंधक (अपीलीय प्राधिकरण) और अन्य बनाम अजय कुमार

श्रीवास्तव**, (2021) 2** एस**.** सी**.** सी**. 612-**संदर्भित।

एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनामवेड्सबरी

निगम, [1948] 1 के. बी. 223-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2016] 7 एससीआर **445**	पर भरोसा किया गया	पैरा **7**
(2022) 1 एससीसी **1**	संदर्भित	पैरा **8**
(2022) 6 स्केल **108**	संदर्भित	पैरा **8**
(2021) 10 एससीसी **136**	संदर्भित	पैरा **8**
(2019) 17 एस**.** सी**.** सी**. 696**	संदर्भित	पैरा **8**
[1963] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 648**	संदर्भित	पैरा **10**
[1995] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 644**	संदर्भित	पैरा **10**
[2000] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 693**	संदर्भित	पैरा **11**
(2021) 2 एस**.** सी**.** सी**. 612**	संदर्भित	पैरा **12**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.10499।

2021 के डी. बी. विशेष अपील रिट No.637 में जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 16.11.2021 से।

सुश्री आसिफा राशिद मीर, एम. एस. खान, मोहम्मद।परवेज डबास, उज़्मी जमील हुसैन, सुश्री नेहा खान, सुश्री जेबा, सुश्री आरुषि जैन, सैयद मेहदी इमाम, अधिवक्तागण याची के लिए।

आर. बाला सुब्रमण्यन, वरिष्ठ अधिवक्ता, पी. वी. योगेश्वरन, मेरुसागर सामंताराय, नचिकेता जोशी, राजन कुमार चौरसिया, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** द्वारा दिया गया था

1. वर्तमान विशेष अनुमति याचिका जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16.11.2021 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने उत्तरदाताओं-भारत संघ (डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलकर्ता) द्वारा दायर 2021 की डी. बी.

विशेष अपील रिट संख्या 637 को अनुमति दी है, और एकल बेंच द्वारा पारित 17.02.2021 के आदेश को अपास्त करना दिया है।

जिसने वर्तमान याची (डिवीजन बेंच के समक्ष प्रतिवादी) द्वारा दायर 2018 की सिविल रिट याचिका संख्या 17475 को अनुमति दी थी।

2. वर्तमान याची को 03.11.2007 पर CISF में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। अप्रैल, 2009 में याची को कमांडेंट डिसिप्लिन, सी. आई. एस. एफ. के कार्यालय से सी. आई. एस. एफ. नियम 2001 (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 36 के तहत एक नोटिस/आरोप पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि याची ने अपने चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन जमा करते समय इस तथ्य को दबा दिया था कि वह आई. पी. सी. की धारा 323,324 और 341 के तहत अपराध के लिए एक आपराधिक मामले में शामिल था, जिसके संबंध में उसके खिलाफ 21.10.2003 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। और यह कि उक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर, मामला उक्त न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए लंबित था जब याची द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सी. आई. एस. एफ. अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था।इसमें यह भी कहा गया था कि चूंकि नियुक्ति पत्र के साथ दायर उनके चरित्र प्रमाण पत्र में आपराधिक मुकदमे के लंबित होने के बारे में जानकारी को दबाने का कार्य घोर दुराचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में था, इसलिए वह बहुत अनुशासित पुलिस बल यानी सी. आई. एस. एफ. में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे। इसके बाद याची के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान, याची ने अपनी गलती स्वीकार कर ली।कमांडेंट डिसिप्लिन, सी. आई. एस. एफ. ने याची की कम उम्र और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वेतन में एक चरण की कमी का दंड लगाया। 6320-6070/- ग्रेड वेतन के साथ Rs.5200-20,200/- के वेतन बैंड में।हालाँकि, 06.10.2009 पर, उप महानिरीक्षक (पश्चिम क्षेत्र), एयर पोर्ट हेड क्वार्टर-नवी मुंबई-ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 11.07.2009 के आदेश को संशोधित किया और CISF नियम, 2001 के नियम 54 को लागू करते हुए याची के खिलाफ नए विभागीय जांच के लिए मामले को वापस भेज दिया।उक्त विभागीय जांच का समापन याची को 09.03.2010 पर सेवा से हटाने में हुआ, जिसके खिलाफ याची ने एक विभागीय अपील दायर की थी, हालांकि, उक्त अपील को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 23.06.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।याची द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई पुनरीक्षण याचिका, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 23.06.2010 का आरोप लगाया गया था, को भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 21.12.2010 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

3. सी. आई. एस. एफ. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर, याची ने ए की सं. 8190 के रूप में एक रिट याचिका दायर की।

2012 जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के समक्ष।एकल पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से याची के खिलाफ पारित हटाने के आदेश को अपास्त करना दिया और याची को

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में अपने मामले पर पुनर्विचार के लिए नियुक्ति प्राधिकरण के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया।

अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **1** ने नियुक्ति का निर्देश दिया

उक्त निर्णय के संदर्भ में तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा याची के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का अधिकार।कमांडेंट सी. आई. एस. एफ. इकाई सी. एस. आई. ए., मुंबई ने अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में फैसले के आलोक में याची के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद कहा कि सी. आई. एस. एफ. भारत संघ का एक सशस्त्र बल है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है, इसलिए बल के कर्मियों को उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है, और गंभीर अपराधों में याची की भागीदारी ने उन्हें ऐसे बल में नियुक्ति से वंचित कर दिया और इसलिए, उन्हें सी. आई. एस. एफ. में कांस्टेबल/जी. डी. के पद के लिए नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

4. याची ने फिर से एक रिट याचिका दायर की जो संख्या 17475/2018 थी जिसमें उक्त आदेश दिनांक 14.05.2018 का आरोप लगाया गया था।एकल पीठ ने फिर से उक्त आदेश को अपास्त करना दिया और रिट याचिका को अनुमति दी जिसमें प्रतिवादियों को दिनांकित 17.02.2021 के आदेश के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ याची को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।प्रतिवादियों ने सिगल बेंच द्वारा पारित आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष विशेष रिट अपील दायर की, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई।

5. याची की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री आसिफा राशिद मीर ने जोरदार ढंग से कहा कि याची एक आपराधिक मामले में शामिल था जब वह मुश्किल से लगभग 19 वर्ष का था और उक्त मामले के परिणामस्वरूप पक्षों के बीच समझौता हुआ था।उनके अनुसार, उक्त समझौते के आधार पर, विचारण न्यायालय ने 21.11.2007 पर मामला बंद कर दिया था, और याची को 03.11.2007 पर CISF में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था।इस न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उन्होंने आगे कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए जिसमें याची कथित रूप से शामिल था, उक्त मामले के लंबित होने का खुलासा न करने के आधार पर सेवा से हटाने को एक गंभीर कदाचार नहीं कहा जा सकता है, जिसमें सेवा से हटाने की कठोर सजा शामिल है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ, याची के वकील की दलीलें चलाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए

1 (2016) 8 एस. सी. सी. 471

एकल पीठ द्वारा पारित सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप किया है जिसने तुच्छ प्रकृति के मामले में याची की संलिप्तता पाई थी।उनके अनुसार, भले ही चरित्र प्रमाण पत्र दाखिल करते समय याची द्वारा जानबूझकर दमन किया गया हो, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, उत्तरदाताओं द्वारा एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था।

6. प्रत्यर्थी ओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बाला सुब्रमण्यन ने हालांकि, न्यायालय को सी. आई. एस. एफ. नियम 2001 में ले जाते हुए, सी. आई. एस. एफ. सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी. ए. पी. एफ.) पर लागू होने वाले उन उम्मीदवारों के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देशों के संबंध में लागू होने वाले परिपत्र, जिनके खिलाफ ओ. एम. दिनांकित ओ. एम. द्वारा आपराधिक मामले लंबित हैं, सूचना को दबाने या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने से संबंधित, ने प्रस्तुत किया कि सी. आई. एस. एफ. बहुत अनुशासित पुलिस बल है और कांस्टेबल का पद बहुत संवेदनशील पद है, याची जिसे नियुक्ति के समय आपराधिक मामले में अपनी भागीदारी के भौतिक तथ्य को दबाने के घोर कदाचार का दोषी पाया गया था, उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता था, और डिवीजन बेंच ने इन तथ्यों पर सही विचार किया है।

7. तत्काल मामले में, दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने अवतार सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा विद्वान है जिसमें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सरकारी सेवा में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की आवश्यकता पर जोर दिया और इस न्यायालय के विभिन्न पिछले फैसलों पर विचार करने के बाद, पैरा 38 में सिद्धांतों का सारांश दिया था जो निम्नानुसार हैः

“38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए**,** हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैंः

38.1.एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी**,** चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में**,** दोषी ठहराए जाने**,** बरी किए जाने या गिरफ्तारी**,** या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में**,** सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

38.2.गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय**,** नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों**,** यदि कोई हो**,** पर ध्यान दे सकता है।

38.3.नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों**/**निर्देशों**/**नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4.यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है**,** जहां आवेदन**/**सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा

तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता हैः

38.4.1.तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है।**38.4.2.**जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।**38.4.3.**यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

38.5.ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

38.6.यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

38.7.कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी स्वयं महत्व ग्रहण करेगा और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8.यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9.यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10.दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।केवल ऐसी सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था।यदि जानकारी नहीं मांगी गई है लेकिन प्रासंगिक है तो नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है ताकि

एफ. आई. टी. एन. एस. के सवाल को संबोधित किया जा सके।हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11 इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

8. यह ध्यान दिया जा सकता है कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अवतार सिंह के मामले में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के बाद भी, इस न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए थे।इसलिए यह

सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में न्यायालय।2 ,

मामलों में लिए गए असंगत विचारों को ध्यान में रखते हुए

भारत संघ और अन्य। बनाम मेथु मेदा **3;** भारत संघ बनाम दिलीप कुमार मलिक **4;** पवन कुमार बनाम भारत संघ और अन्र। **5.**

2 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1300 3 (2022) 1 एससीसी 1

4 (2022) 6 स्केल 108

5 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 532 ए

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और ए. एन. आर बनामअनिल कांवरिया **6;** मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **7;**

आदि, आगे निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया गया हैः

"89. इस न्यायालय द्वारा समय की अवधि में दिए गए विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर गौर करने का एकमात्र कारण यह है कि इस विषय को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत थोड़े असंगत हैं।अवतार सिंह **(**उपरोक्त**)** के मामले में वृहद पीठ के फैसले के बाद भी विभिन्न अदालतों ने अलग-अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं।

90. ऐसी परिस्थितियों में, हमने कानून के व्यापक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ अभ्यास किया, जिन्हें वर्तमान प्रकृति के मुकदमों पर लागू किया जाना चाहिए।सिद्धांत इस प्रकार हैंः

क**)** प्रत्येक मामले की संबंधित लोक नियोक्ता द्वारा, अपने नामित अधिकारियों के माध्यम से, पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए-विशेष रूप से, पुलिस बल के लिए भर्ती के मामले में, जो व्यवस्था बनाए रखने और अराजकता से निपटने के कर्तव्य के तहत हैं, क्योंकि जनता में विश्वास पैदा करने की उनकी क्षमता समाज की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है।**[**राज कुमार **(**ऊपर**)** देखें**]**

ख) ऐसे मामले में भी जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई और सही घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार को स्वतः ही पद पर नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।यह अभी भी नियोक्ता के लिए खुला रहेगा कि वह पूर्ववृत्तियों पर विचार करे और जांच करे कि क्या संबंधित उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त और उपयुक्त है।

ग) गिरफ्तारी, अभियोजन, दोषसिद्धि आदि से संबंधित भौतिक जानकारी को छिपाने और सत्यापन प्रपत्र में गलत बयान देने का कर्मचारी के चरित्र, आचरण और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी या दी थी

6 (2021) 10 एससीसी 136 7 (2019) 17 एससीसी 696 ए

उसकी योग्यता या पद के लिए उपयुक्तता, उसे सेवा से समाप्त किया जा सकता है।

घ) युवाओं, करियर की संभावनाओं और उम्मीदवारों की उम्र के बारे में सामान्यीकरण जो अपराधियों के आचरण को क्षमा करने का कारण बनते हैं, न्यायिक फैसले में शामिल नहीं होने चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए।

ङ) न्यायालय को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या संबंधित प्राधिकरण, जिसकी कार्रवाई को चुनौती दी जा रही है, ने दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है।च) क्या प्राधिकरण के निर्णय में पक्षपात का कोई तत्व है?

छ) क्या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित थी?"

9. के मामले में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अवतार सिंह (ऊपर) और सतीश चंद्र यादव (ऊपर) के मामले में,

इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रत्यर्थियों-प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की थी।अवतार सिंह के मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी-प्राधिकरणों ने याची की सेवाओं को समाप्त कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि याची को सी. आई. एस. एफ. में नियुक्त किया गया था, बल में उनके नामांकन के समय उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था, लेकिन उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया और यह कि जानबूझकर तथ्यों को दबाया गया था जो एक भयावह परिस्थिति थी।यह भी माना गया कि सी. आई. एस. एफ. भारत संघ का एक सशस्त्र बल होने के नाते, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, मेट्रो, बिजली और इस्पात जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य आदि के लिए तैनात है और इसलिए, बल के कर्मियों को उच्चतम क्रम का अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता होती है और ऐसे गंभीर अपराधों में याची की भागीदारी ने उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया।प्रत्यर्थी -

प्राधिकरणों के इस तरह के सुविचारित और सुविचारित निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकल पीठ द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से जब दुर्भावनापूर्ण या प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन न करने या वैधानिक नियमों के उल्लंघन का कोई आरोप प्रत्यर्थी अधिकारियों के खिलाफ नहीं लगाया गया था।

10. संविधान पीठ ने उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम विद्याभूषण महापात्रा **8** के मामले में **1963** में कहा था कि

8 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 779 ए

स्थापित दुराचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, दंडित करने वाले प्राधिकारी के पास सजा देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र था।जुर्माना अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा के लिए खुला नहीं था।एक तीन -

बी**.** सी**.** चतुर्वेदी बनाम के मामले में न्यायाधीश पीठ। भारत संघ और अन्य **9**

इसने यह भी माना था कि न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा है।न्यायिक समीक्षा की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को उचित व्यवहार प्राप्त हो और यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कि प्राधिकरण जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह न्यायालय की नजर में आवश्यक रूप से सही है।जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोपों पर जांच की जाती है, तो न्यायालय या न्यायाधिकरण केवल यह निर्धारित करने की सीमा तक संबंधित होगा कि क्या जांच एक सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी या क्या प्राकृतिक न्याय और वैधानिक नियमों का पालन किया गया था।

11. ओम कुमार और अन्य बनाम भारत संघ **10** में इस न्यायालय ने वेडनसबरी सिद्धांतों और आनुपातिकता के सिद्धांत पर विचार करने के बाद भी यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुशासनात्मक मामलों में सजा की मात्रा का प्रश्न मुख्य रूप से अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए है, और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का अधिकार क्षेत्र सीमित है और "वेडनसबरी सिद्धांत" 11 के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक या दूसरे की प्रयोज्यता तक सीमित है, अर्थात् क्या आदेश कानून के विपरीत था, या क्या प्रासंगिक कारकों पर विचार नहीं किया गया था, या क्या अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया गया था या क्या निर्णय ऐसा था जिसे कोई उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था।

12. पुनः**,** उपमहानिदेशक के मामले में तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ

प्रबंधक **(**अपीलीय प्राधिकरण**)** और अन्य बनामअजय कुमार श्रीवास्तव **12** संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को निम्नानुसार सीमित करनाः

“24. इस प्रकार यह तय किया जाता है कि संवैधानिक न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया का मूल्यांकन है न कि निर्णय के गुण**-**दोष।यह व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है न कि निष्कर्ष की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए।

न्यायालय/न्यायाधिकरण अपराधी के खिलाफ आयोजित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह किसी भी तरह से प्राकृतिक न्याय के नियमों के साथ असंगत है या कानूनी नियमों का उल्लंघन करता है।

9 (1995) 6 एस. सी. सी. 749

10 (2001) 2 एस. सी. सी. 386

11 एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनामवेड्सबरी निगम [1948] 1 KB 223

12 (2021) 2 एससीसी 612 ए

जाँच या जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष या निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।यदि निष्कर्ष या निष्कर्ष ऐसा होता कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी यहाँ नहीं पहुँचता या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पहुँचाए गए साक्ष्य पर विचार करने पर निष्कर्ष विकृत होते हैं या अभिलेख के सामने या किसी भी साक्ष्य के आधार पर पेटेंट त्रुटि से पीड़ित होते हैं, तो प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है।संक्षेप में, न्यायिक समीक्षा का दायरा तथ्य के रूप में प्राधिकरण के निर्णय की शुद्धता या तर्कसंगतता की जांच तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

25. XXXXXX

26. XXXXXX

27. XXXXXXX

28. संविधान के अनुच्छेद **226** या अनुच्छेद **136** के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संवैधानिक न्यायालय विभागीय जांच कार्यवाही में आए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय दुर्भावना या विकृति के मामले के, यानी जहां किसी निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जहां कोई निष्कर्ष ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति उचित रूप से और निष्पक्षता के साथ उन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकता है और जब तक विभागीय प्राधिकरण द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कुछ सबूत हैं, तब तक इसे बनाए रखना होगा।”

13. पूर्व-वर्णित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को सही ढंग से अपास्त करना कर दिया था, जिसने याची के खिलाफ प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा पारित हटाने के आदेश में गलत तरीके से हस्तक्षेप किया था।याची को सी. आई. एस. एफ. जैसे अनुशासित बल में प्रवेश करने की सीमा पर घोर कदाचार करते हुए पाया गया है, और प्रत्यर्थी अधिकारियों ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और दुर्भावना से प्रेरित हुए बिना उसे सेवा से हटाने का आदेश पारित किया है, न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने सीमित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।

14. इस मामले को देखते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया जाता है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः भव्यात कपूर और शाश्वत जैन, एलसीआरए)